न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 77/2020
GCMS Case No. 2020/00351

सायल :–
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक
पाली

बनाम

गैरसायलः–
जब्बर सिंह पुत्र श्री जय सिंह जाति राजपुत
निवासी मणिहारी पुलिस थाना गुडा एन्दला
जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/7/8 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक अभियोजक अधिकारी प्रथम श्रेणी पाली

:: **निर्णय** ::

दिनांक :– 26.08.22

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 19.11.2020 को गैरसायल श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री जय सिंह जाति राजपुत निवासी मणिहारी पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/7/8 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना गुडाएन्दला क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 1983 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 78 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से 02 प्रकरण जिले के बाहर के पुलिस थानो में एवं 76 प्रकरण जिले पाली जिले के पुलिस थानों में दर्ज हुए है। जिसमें हत्या लुट शराब तस्करी आर्म्स एकट धोखाधडी मारपीट एस.सी/एस.टी एक्ट के तहत मामले है। गैर सायल मूलतः पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली क्षैत्र का निवासी है।

गैर सायल जब्बर सिंह आदतन एंव अव्वल दर्जे का बदमाश है जो निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त होना, भय से इस क्षैत्र के लोग साक्ष्य देने एवं पुलिस में रिपोर्ट देने से कतराते है, डरते है उसकी गतिविधियों पर समाज हित के लिए अंकुश लगाना अति आवश्यक बताते हुए गैर सायल जब्बर सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी मणिहारी पुलिस थाना गुडाएन्दला के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/7/8 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत कर गैर सायल को नियमानुसार गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासित करने हेतु निवेदन किया है, ताकि क्षैत्र में शांति एवं कानुन व्यवस्था बनी रह सके।

प्रकरण के संबध में पुलिस अधीक्षक पाली से गैर सायल जब्बरसिंह से सबधित वर्तमान स्थिति चाही गई पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.08.2022 के द्वारा हार्ड कोर/एच.एस अपराधी श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री जय सिंह जाति राजपुत निवासी मणिहारी पुलिस थाना गुडा एन्दला प्रकरण संख्या 495 दिनांक 19.012.2012 अपराध अन्तर्गत धारा 332,353,307/34,120 बी भा.द.स. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना रातानाडा जोधपुर में दिनांक 22.12.2021 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में निरूद्ध है।

पुलिस अधीक्षक पाली की रिपोर्ट 25.08.2022 के अनुसार गैर सायल जब्बर सिंह पुत्र जयसिंह निवासी मणिहारी पुलिस थाना गुडाएन्दला जिला पाली दिनांक 22.12.2021 से केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में निरूद्ध है।

राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) 1 के अनुसार गुण्डे से अभिप्राय स्वंय या किसी गैंग का सदस्य के रूप में भारतीय दण्ड सहिता 1860 के अध्याय अनुसार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

16,17,18 या उक्त अधिनियम की धारा 290 से 294 तक के अधिन आदतन या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरित करता हो, धारा 2(ख)7 के अनुसार हिंसा के कृत्य द्वारा या बल प्रदर्शन द्वारा कानुन का पालन करने वाले लोगो को धमकी देने का अभ्यस्त पाया गया हो, धारा 2(ख)/8 के अनुसार दंगा या शांति भंग या बलुआ करने का आदी हो या बलपुर्वक गैर कानुनी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अभ्यस्त हो का अंकित है।

गैर सायल जब्बर सिंह के विरूद्ध कुल 78 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है लेकिन पुलिस अधीक्षक पाली कि रिपोर्ट दिनांक 25.08.2022 के अनुसार गैर सायल जब्बर सिंह दिनांक 18.12.2021 यानि करीब 08 माह से केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में निरूद्ध होने से वर्तमान में लोगो को डरा धमका कर गैर कानुनी लाभ प्राप्त करना एवं क्षेत्र में शांति एवं कानुन व्यवस्था का कोई खतरा हो ऐसा प्रतीत नही होता है, चुंकि गैर सायल वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में निरूद्ध होने से उन्हे जिले से निष्कासित किया जाना संभव नही है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिणामस्वरूप गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/7/8 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक पाली एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गुडाएन्दला को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 26.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)